रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 1972/पौष 21, 1893
No. 19] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 1972/PAUSA 21, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 11th January 1972

G.S.R. 25(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts from the whole of the duty of excise leviable thereon, newspapers and all other printed periodicals, falling under Item No. 61 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and cleared for home consumption on any day,—

(a) to the extent of 1.5 per cent of the number of copies of newspaper or, as the case may be, periodical printed in respect of any publishing day, in case the periodicity of such newspapers and other periodicals does not exceed seven days; and

(b) to the extent of 2 per cent of the number of copies of such newspaper or, as the case may be, periodical whose periodicity exceeds seven days.

[No. 9/72.]

B. K. AGARWAL, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 25 (ई).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 61 के अन्तर्गत आने वाले, और किसी भी दिन देशीय खपत के लिए निकाले गए समाचार-पत्रों और सभी अन्य मुद्रित पत्रिकाओं को, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से,—

(क) ऐसे समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं की आवर्तता सात दिन से अधिक न होने की दशा में, यथास्थिति, समाचारपत्र या किसी प्रकाशन दिन की बाबत मुद्रित पत्रिका की प्रतियों की संख्या के 1.5 प्रतिशत तक; और

(ख) यथास्थिति, ऐसे समाचार पत्र या पत्रिका, जिसकी आवर्तता सात दिन से अधिक है, की प्रतियों की संख्या के 2 प्रतिशत तक, एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० 9/72]

वी० के० अग्रवाल, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972